

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह चन्देल,  
ज्वाइन्ट कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी,  
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/  
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0)  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(कमिश्नर कैम्प)

महोदय,

लखनऊ :: दिनांक :: 07 अप्रैल, 2021

आपको सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 08.04.2021 को प्रातः 10:45 बजे आपके आधिकारिक मेल पर send किये गये Link के माध्यम से वी0सी0 में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। उक्त वी0सी0 में CGST के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

अतः समयबद्ध रूप से उक्त वी0सी में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। उक्त मीटिंग का एजेण्डा इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

07/04/2021

(राजेश प्रताप सिंह चन्देल)

ज्वाइन्ट कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी,  
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्तः**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. एडीशनल कमिश्नर (विधि)/एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर सचल दल एवं वि0अनु0शा0 वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी,  
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

**Agenda for interaction with Shri Ajay Dixit, IRS Principal Chief  
Commissioner, CGST**

1. Mechanism of intelligence sharing between the both departments. Speedy action on information sharing by State Tax Officials.
2. Mutual discussion by meeting at the zone level to know about the tax assessment procedure of both the departments.
3. Coordination Meeting between the two departments at the provincial level / zone level to make the enforcement work more effective.
4. Discussion between the both departments at the field level / zone level to get knowledge of each other's skills for effective audit work.
5. Procedure adopted for prosecution u/s 132 of GST Act.
6. Areas of co-operation as may be decided